धारा 19 : छुटपुट कार्य के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध

(1) जहां नियत दिन के पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार कारबार के स्थान पर प्राप्त किसी इनपुट को किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को उसी रूप में या भागतः प्रसंस्कृत करने के पश्चात् और प्रसंस्करण परीक्षण, पुनर्नुकूलन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रेषित किया गया था और ऐसे इनपुट उक्त स्थान पर नियत दिन को या उसके पश्चात् लौटा दिए जाते हैं, वहां कोई कर संदेय नहीं होगा यदि ऐसे इनपुटों को छुटपुट कार्य पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा नियत दिन से छह मास की अवधि के भीतर उक्त स्थान पर लौटा दिया जाता है :

परन्तु आयुक्त द्वारा छह मास की अवधि को दर्शित किए गए पर्याप्त कारण के आधार पर दो मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि ऐसे इनपुटों को नियत दिन से छह मास की अवधि के भीतर या विस्तारित अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (8) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किए जाने के दायित्व के अधीन होगा।

(2) जहां किसी अर्धनिर्मित माल को कारबार के किस स्थान से नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार कतिपय विनिर्माण प्रक्रियाएं करने के लिए किसी अन्य परिसर को प्रेषित किया गया था और ऐसा माल (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में ''उक्त माल'' कहा गया है) नियत दिन को या उसके पश्चात् उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है, वहां कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल विनिर्माण प्रक्रियाएं करने के पश्चात् या अन्यथा नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है :

परन्तु आयुक्त द्वारा छह मास की अवधि को दर्शित किए गए पर्याप्त कारणों के आधार पर दो मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त माल वापस नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (8) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किए जाने के दायित्व के अधीन होगा :

परन्तु यह भी कि विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार, माल प्रेषित करने वाला व्यक्ति, उक्त माल का अंतरण किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसर को, नियत दिन से, यथास्थिति, छह मास या बढ़ाई गई अवधि के भीतर, निर्यात के लिए, भारत में कर का संदाय करके या कर का संदाय किए बिना वहां से प्रदाय करने के प्रयोजन के लिए कर सकेगा।

(3) जहां माल को, नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार कर का संदाय किए बिना कारबार के स्थान से परीक्षण या कोई अन्य प्रक्रिया करने के लिए किसी अन्य परिसर को, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, प्रेषित किया गया था और ऐसा माल नियत दिन को या उसके पश्चात् कारबार के उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है, वहां कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल परीक्षण या कोई अन्य प्रक्रिया करने के पश्चात् नियत दिन से छह मास के भीतर ऐसे स्थान को लौटा दिया जाता है :

परन्तु आयुक्त द्वारा छह मास की अवधि को दर्शित किए गए पर्याप्त कारणों के आधार पर दो मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार वसूल किए जाने के दायित्व के अधीन होगा :

परन्तु यह भी विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार, माल प्रेषित करने वाला व्यक्ति, उक्त माल का, नियत दिन से, यथास्थिति, छह मास या बढ़ाई गई अवधि के भीतर, निर्यात के लिए, भारत में कर का संदाय करके या कर का संदाय किए बिना उक्त अन्य परिसर से अंतरण कर सकेगा।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन कर केवल तब संदेय नहीं होगा यदि माल प्रेषित करने वाला व्यक्ति और छुटपुट कार्य करने वाला कर्मकार, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, नियत दिन को उक्त व्यक्ति की ओर से छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा स्टाक में धारित इनपुट या माल के ब्यौरों की घोषणा कर देता है।